परिचालन दिशानिर्देश

ग्रामीण क्षेत्रों में किशोरियों (10–19 वर्ष) में मासिक-धर्म के दौरान स्वच्छता को प्रोत्साहन

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

परिचालन दिशानिर्देश

ग्रामीण क्षेत्रों में किशोरियों (10–19 वर्ष) में
मासिक-धर्म के दौरान स्वच्छता को प्रोत्साहन

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

गुलाम नबी आज़ाद
GHULAM NABI AZAD

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110108

Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
Nirman Bhavan, New Delhi - 110108

सन्देश

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य घटक का एक महत्वपूर्ण अंग किशोर स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देना है। लड़कियां और महिलाएं स्वस्थ और कार्यशील तथा गरिमामय जीवन बिता सकें, इसके लिए मासिक–धर्म संबंधी स्वच्छता को प्राथमिकता देनी होगी। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में इस बारे में कम जानकारी है और उनकी सेनिटरी उत्पादों तक कम पहुंच है। इसलिए मासिक–धर्म के दौरान स्वच्छता की पूरी तरह अनदेखी होती है। मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाओं और मिथकों के कारण लड़कियों के स्कूल जाने और उनकी सामाजिक स्थिति पर असर पड़ता है, जिसके कारण मौजूदा भेदभाव देखने को मिलता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में किशोरियों के लिए मासिक–धर्म संबंधी स्वच्छता को प्रोत्साहन देने की योजना में किशोरियों को स्वास्थ्य शिक्षा के साथ सेनिटरी नेपकिनों की नियमित आपूर्ति प्रदान करना तथा स्कूलों तथा समुदाय में पानी और शौचालयों की सुविधा प्रदान करना भी शामिल है। इसमें दूसरे विभागों का सहयोग लिया जाता है। देश में वर्तमान अनुभव के आधार पर इस योजना में सेनिटरी नेपकिन तैयार करने में महिला स्व–सहायता समूहों की सक्रिय सहभागिता को भी बढ़ावा दिया जाता है। इससे गांवों में लोगों को न केवल आर्थिक रूप से जीवन यापन के अवसर मिलेंगे बल्कि अपेक्षाकृत कम खर्च पर स्थानीय मांग और वितरण को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

इस योजना के बारे में परिचालन दिशानिर्देश तैयार करना देश में मासिक–धर्म संबंधी स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का एक प्रमुख प्रयास है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आरम्भ में चुनींदा जिलों में इस योजना को लागू करने के लिए अपेक्षित संसाधन और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। मेरा कार्यक्रम प्रबंधकों से आग्रह है कि वे इन दिशा निर्देशों का कारगर उपयोग करें और यह सुनिश्चित करें कि यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लड़कियों तक पहुंचे।

(गुलाम नबी आज़ाद)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
NATIONAL RURAL HEALTH MISSION

K. SUJATHA RAO
Health & FW Secretary
Tel.: 23061863 Fax : 23061252
e-mail : secyhfw@nic.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110108

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE
NIRMAN BHAVAN, NEW DELHI - 110108

सन्देश

वर्तमान राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों, जैसे किशोर प्रजनन स्वास्थ्य और यौन स्वास्थ्य तथा किशोर शिक्षा कार्यक्रम में स्कूल जाने वाले और स्कूल न जाने वाले लड़कों और लड़कियों के लिए कई कार्यकलापों को शामिल किया गया है। मासिक–धर्म संबंधी स्वच्छता को बढ़ावा देने के मार्गदर्शी कार्यकलाप चल रहे हैं। दूसरी ओर मासिक–धर्म संबंधी स्वच्छता की योजना राज्यों को इसे अधिक जिलों में लागू करने का अवसर प्रदान करती है।

मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता को प्रोत्साहन देने की योजना किशोरियों के लिए मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर चर्चा करने तथा सेनिटरी नेपकिन के वितरण का मंच प्रदान करने के लिए कार्य करती है और ऐसे कार्यकलापों को मजबूती प्रदान करती है। इस योजना में स्थानीय महिला समूहों, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति तथा आशा को मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के काम में शामिल करने पर बल दिया गया है। हमें आशा है कि मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता की योजना किशोरों के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित अन्य विषयों पर भी चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी।

इस योजना में स्वास्थ्य शिक्षा और सेनिटरी नेपकिनों की आपूर्ति करने की व्यवस्था है। लेकिन मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता को प्रोत्साहित करने में अधिक आयु की महिलाओं के व्यवहार परिवर्तन, स्वच्छ जल की उपलब्धता तथा स्वच्छ शौचालयों जैसी अन्य बातों का भी प्रभाव पड़ता है। राज्यों से आशा की जाती है कि वे समुदाय और स्कूलों में पानी और शौचालय सुविधाओं की व्यवस्था करने और उनमें सुधार लाने के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु समग्र स्वच्छता अभियान और सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रमों के साथ सुदृढ़ तालमेल से कार्य करें। स्व–सहायता समूहों द्वारा सेनिटरी नेपकिन तैयार करने से आर्थिक रूप से सशक्त होने तथा अधिक उम्र की महिलाओं में जागरूकता पैदा होने के अवसर भी प्राप्त होंगे।

सेनिटरी नेपकिनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा उनके उपयोग के बाद उनका सुरक्षित निपटान किया जाना कार्यक्रम का महत्वपूर्ण घटक है और राज्यों द्वारा इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होगी।

यह मंत्रालय राज्यों द्वारा इस स्कीम के कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए ये परिचालन दिशानिर्देश आरम्भ कर रहा है। परिचालन दिशानिर्देशों में पर्याप्त लचीलापन रखा गया है ताकि इन्हें स्थानीय स्थितियों के अनुसार अपनाया जा सके। यद्यपि यह स्कीम 152 जिलों में चलाई जा रही है, फिर भी आशा है कि राज्य सारे राज्य में ये कार्यकलाप शुरू करने के लिए आगे आएंगे।

(के. सुजाता राव)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
NATIONAL RURAL HEALTH MISSION

P.K. PRADHAN, IAS
Additional Secretary &
Mission Director (NRHM)
Tel.: 23061451 Fax : 23061975
e-mail : md-nrhm@nic.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110108

Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
Nirman Bhavan, New Delhi - 110108

सन्देश

मासिक–धर्म संबंधी स्वच्छता को प्रोत्साहित करने की योजना देश में किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य कार्यक्रमों की ओर एक और कदम है। मासिक–धर्म संबंधी स्वच्छता को प्रोत्साहन देने से कई लाभ होंगे। लड़कियों को सुविधा और सम्मान सुनिश्चित करने की अत्यंत वास्तविक जरूरत को पूरा करने के अतिरिक्त इनसे उनकी स्कूली उपस्थिति और पढ़ाई करते रहने में प्रोत्साहन मिलेगा। इस योजना से लोगों के बीच आशा और महिला समूहों को किशोर लड़कियों के साथ कार्य करने में अधिक सहभागिता प्राप्त होगी जिससे किशोर स्वास्थ्य से जुड़े अन्य विषयों पर भी चर्चा की जा सकेगी।

परिचालन दिशानिर्देशों में इस योजना की रूपरेखा दी गई है जिनमें प्रबंधन, अनुश्रवण और पर्यवेक्षणीय ढांचा भी शामिल है। केन्द्रीय सरकार ने ग्राम और समुदाय स्तर पर आशा और अन्य समूहों के प्रशिक्षण के लिए पठन सामग्री और प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा सम्प्रेषण पैकेज भी तैयार किए हैं।

मुझे आशा है राज्य ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों में मासिक–धर्म संबंधी स्वच्छता को बढ़ावा देने की योजना को कार्यान्वित करने के लिए इन दिशा निर्देशों का कारगर ढंग से उपयोग कर सकेंगे।

(पी.के. प्रधान)

विषय-सूची

I. प्रस्तावना और औचित्य	9
II. कार्यक्रम के उद्देश्य	9
III. लक्ष्य समूह	10
IV. समग्र कार्यनीति	11
V. ज़िलों का चयन	11
VI. कार्यक्रम के घटक	12
VII. सेवा–प्रदानगी ढांचा	16
VIII. कार्यक्रम का संचालन	18
IX. प्रबंधकीय ढांचा	20
X. अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) और पर्यवेक्षण	21
XI. कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य कार्य	23
संलग्नक: 1	24
संलग्नक: 2	26

I. प्रस्तावना और औचित्य

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य (एआरएसएच) तथा किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम (एईपी) ऐसे प्रमुख घटक हैं जिनमें किशोरों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया है। इन दोनों कार्यक्रमों में स्कूल जाने वाले और स्कूल न जाने वाले किशोर–किशोरियों के लिए अनेक कार्यक्रम शामिल हैं। मासिक धर्म के दौरान साफ–सफाई को प्रोत्साहित करने की यह योजना किशोरियों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर विचार–विमर्श के लिए एक मंच तैयार करके किशोरियों के लिए कार्यकलाप तैयार करती है और उन्हें मज़बूती प्रदान करती है। इन कार्यकलापों में छोटी आयु में विवाह, पोषण, लैंगिक मुद्दे, गर्भ–निरोधक, स्व–सम्मान और समझाने–बुझाने के कौशल, मासिकधर्म संबंधी बेहतर साफ–सफाई से जुड़ी जानकारी और उत्पाद उपलब्ध कराने जैसे मुद्दे शामिल हैं।

भारत में मासिक–धर्म और मासिक–धर्म संबंधी व्यवहार में महिलाओं और किशोरियों के लिए कई वर्जनाएं और सामाजिक–सांस्कृतिक अवरोध हैं। मासिक–धर्म संबंधी साफ–सफाई के उत्पादों तक सीमित पहुंच और सुरक्षित स्वच्छता सुविधाओं का अभाव बढ़ी हुई गतिशीलता में बाधा बन सकता है और मासिक–धर्म का प्रबंधन करने के लिए अस्वच्छ तौर–तरीके अपनाने की संभावना को जन्म दे सकता है। ऐसा लगता है कि पारंपरिक रूप से भारत में इस संबंध में कुछ कार्यनीतियां मौजूद रही हैं[1]: जैसे कि, पैड की जगह कपड़े का उपयोग करना, एक ही कपड़े को बार–बार इस्तेमाल करना। राख या भूसे का इस्तेमाल करना जो मासिक–धर्म के समय कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करते और जिनसे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो सकता है और आगे चल कर प्रजनन स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ सकता है।

इस बात के प्रमाण मौजूद हैं कि मासिक–धर्म के दौरान सफाई रखने की सुविधाएं (जैसे कि सेनिटरी नेपकिन, स्कूलों में शौचालय, पानी, प्राइवेसी और उपयोग में लाए गए नेपकिन के सुरक्षित निपटान की सुविधा) न मिलने से न केवल स्कूल में बालिका की उपस्थिति पर असर पड़ सकता है बल्कि उसके शरीर के प्रभावित हिस्सों में संक्रमण भी हो सकता है। इसलिए मासिक–धर्म के दौरान सफाई व सुरक्षा के साधनों के बारे में जागरूकता पैदा करना और उन्हें मासिक–धर्म संबंधी साफ–सफाई के लिए सेनिटरी सुविधाएं उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है।

II. कार्यक्रम के उद्देश्य

यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाएगा और इस कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार हैं:

- मासिक–धर्म के बारे में किशोरियों में जागरूकता बढ़ाना, उनमें आत्मविश्वास की भावना पैदा करना तथा समाज में लड़कियों का स्तर और ऊंचा करने के लिए उन्हें सशक्त बनाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में किशोरियों को अच्छी गुणवत्ता वाले नेपकिन उपलब्ध कराना।
- उपयोग में लाए गए सेनिटरी नेपकिनों का पर्यावरण की दृष्टि से उचित ढंग से निपटान करने की सुविधा सुनिश्चित करना।

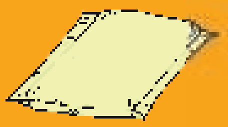

[1] द जेन्डरर्ड डाइमेंशन ऑफ बेसिक नीड्सः एक्सप्लोरिंग मेन्स्ट्रुअल हाईजीन एण्ड रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन्सः वानिथा नायक मुखर्जी, फैनल रिपोर्ट टू द मैकआर्थर फाउन्डेशन

III. लक्ष्य समूह

यह कार्यक्रम **ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली 10–19 वर्ष की किशोरियों** के लिए है। इसका उद्देश्य उन्हें सेनिटरी नेपकिनों के उपयोग के बारे में पर्याप्त ज्ञान और जानकारी देना, उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले सेनिटरी नेपकिन उपलब्ध कराना तथा साथ ही इनके निपटान की सुविधा के लिए उन्हें पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके उपलब्ध कराना है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 22 करोड़ 50 लाख किशोर–किशोरियां हैं जो उसकी पूरी आबादी का पांचवां हिस्सा (22 प्रतिशत) हैं। 10–19 वर्ष की ग्रामीण लड़कियों की आबादी 8.55 करोड़ हैं जिनमें से 2.42 करोड़ गरीबी की रेखा से नीचे (बीपीएल) वर्ग की और 6.13 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) वर्ग की हैं।

परियोजना के पहले चरण में 150 ज़िलों में कार्य किया जाएगा जो कि 25 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र होगा। इसलिए पहले वर्ष में लक्षित किशोरियों की कुल 8.55[2] करोड़ आबादी में से 2.14 करोड़ (25 प्रतिशत) लड़कियों को शामिल किया जाएगा।

हमें इन 2.14 करोड़ किशोरियों में से लगभग 70 प्रतिशत किशोरियों तक पहुंच बनानी है। मासिक–धर्म की शुरूआत 10–12 वर्ष के बीच हो सकती है। इसलिए इस परियोजना के आकलन के लिए 10–19 वर्ष के आयु समूह की 1.5 करोड़ लड़कियों को लक्ष्य समूह का आधार बनाया गया। इन 1.5 करोड़ लड़कियों में से गरीबी रेखा से ऊपर की लड़कियों की संख्या इसका 70 प्रतिशत (1 करोड़ 5 लाख) और गरीबी रेखा से नीचे की लड़कियों की संख्या इसका 30 प्रतिशत (45 लाख) है।

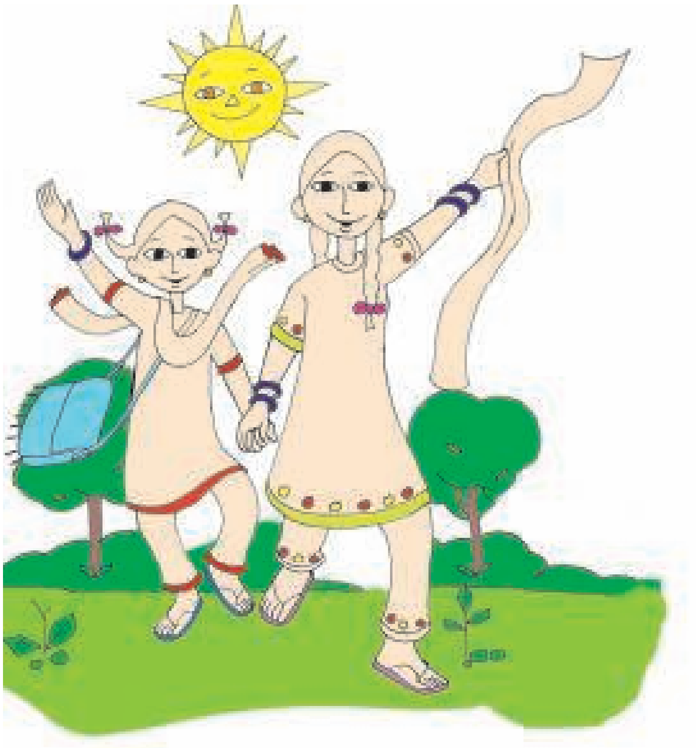

[2] प्रस्तावित जनसंख्या–भारत एवं राज्य (2001–2026) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग

IV. समग्र कार्यनीति

इस योजना के अंतर्गत निम्न दो मुख्य कार्यनीतियां अपनाई गई हैं:

- आशा और महिला समूहों/किशोरी मंडलों जैसे समुदाय संगठनों के माध्यम से मांग पैदा करना। स्कूल जाने वाली किशोरियों के लिए एक अतिरिक्त कार्यविधि होगी – ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के जीवन कौशल पाठ्यक्रमों के माध्यम से किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम (एईपी) कार्यक्रम चलाना।
- उचित कीमत व अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद (सेनिटरी नेपकिन) की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति कार्यकलाप।

V. ज़िलों का चयन

इस पहल को विभिन्न चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा। पहले चरण में देश की 25 प्रतिशत आबादी को, यानी कि चयनित राज्यों के 150 ज़िलों को शामिल किया जायेगा।

कार्यक्रम लागू करने के लिए ज़िलों के चुनाव हेतु राज्यों को निम्नलिखित मानदंड सुझाये गये हैं:

- वर्तमान किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम
- सुदृढ़ किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम
- सक्रिय स्वयं सहायता समूह परिसंघ
- आशा को कारगर प्रशिक्षण और सहायता प्रणालियां

चुने गए ज़िलों में, राज्य किशोर अवस्था वाली लड़कियों की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या को शामिल करेंगे क्योंकि किशोरियों में मासिक–धर्म शुरू होने की आयु 10–12 वर्ष के बीच अलग–अलग हो सकती है ।

VI. कार्यक्रम के घटक

कार्यक्रम के विभिन्न घटक और परिचालन कदम इस प्रकार हैं:

1. मासिक–धर्म संबंधी स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए लक्ष्य समूह में समुदाय–आधारित स्वास्थ्य शिक्षा और सेवा

(क) आशा/अन्य समुदाय कार्यविधियों के जरिये सेवा प्रदान करना

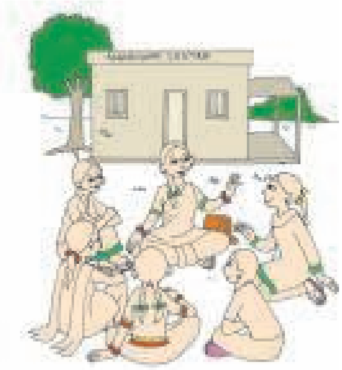

किशोरियों को सेवा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कार्य किये जायेंगे:

- **आशा** पंचायत भवन या आंगनवाड़ी केंद्र में लक्ष्य आयु–समूह की किशोरियों के लिए मासिक बैठकें आयोजित करेगी। मासिक बैठकें किशोरी समूह या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई गई राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना – सबला योजना के अंतर्गत भी आयोजित की जा सकती हैं। रविवार को बैठक आयोजित करने का लाभ यह होगा कि इसमें स्कूल जाने वाली लड़कियां और स्कूल न जाने वाली लड़कियां, दोनों शामिल हो सकती हैं। इन मासिक बैठकों के आयोजन के लिए **आशा** को ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति (वीएचएससी) निधि से प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा। मगर राज्य इसका विकल्प चुन सकते हैं।
- मासिक बैठकों के कार्य को पूरा करने के लिए बैठकों में अनुपस्थित रहने वाली लड़कियों को मासिक–धर्म संबंधी स्वच्छता हेतु प्रोत्साहित करने और आगे की बैठकों में आने के लिए उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से घरों के दौरे किये जाने चाहिए।

इन बैठकों में मासिक–धर्म संबंधी स्वच्छता के विभिन्न मुद्दों पर तो विचार किया ही जायेगा, साथ ही लड़कियों को सेनिटरी नेपकिन भी दिये जायेंगे। इसके अलावा, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों पर भी बात की जायेगी जैसे कि: छोटी उम्र में शादी, पोषण, लैंगिक मुद्दे, गर्भनिरोधक विकल्पों की जानकारी, एचआईवी सहित यौन संचारित संक्रमणों की समझ, जोखिमपूर्ण आचारण के दुष्परिणाम, आत्म विश्वास में सुधार और समझाने–बुझाने के कौशल।

राज्य चाहें तो मासिक–धर्म के बारे में स्वच्छता प्रोत्साहन के लिए गतिशीलता और जागरूकता–निर्माण की प्रक्रिया में अन्य समुदाय–आधारित संगठनों को भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कि स्वयं सहायता समूह, महिला समूह आदि।

(ख) स्कूलों के माध्यम से सेवाएं प्रदान करना

स्कूल जाने वाली किशोरियों में मासिक–धर्म संबंधी स्वच्छता के प्रोत्साहन के अन्य माध्यमों में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम/स्कूल स्वास्थ्य प्रोत्साहन और नोडल स्कूल शिक्षक शामिल हो सकते हैं।

2. किशोरियों को नियमित रूप से सेनिटरी नेपकिन उपलब्ध कराना

(क) समुदाय में

समुदाय स्तर पर **आशा** किशोरियों को पर्याप्त मात्रा में सेनिटरी नेपकिन उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगी। मुख्यतः मासिक बैठकों के माध्यम से ही नेपकिनों की नियमित आपूर्ति की जायेगी। जो लड़कियां घरों में हैं और मासिक बैठकों में नहीं आ पातीं, उन्हें उनके घर जाकर सेनिटरी नैपकिन दिये जाने चाहिए। आशा द्वारा सेनिटरी नेपकिनों की आपूर्ति का सुझाव है। राज्य चाहें तो किशोरियों को सेनिटरी नेपकिन उपलब्ध कराने के लिए कोई ऐसी विधि भी चुन सकते हैं जो स्थानीय संदर्भ में अधिक उपयुक्त हो।

(ख) स्कूल में

वर्तमान आंकड़ों के आधार पर यह माना जा सकता है कि लगभग 45 प्रतिशत ग्रामीण किशोरियां स्कूल जाती हैं और बाकी नहीं जातीं। इसलिए स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने और सेनिटरी नेपकिन वितरित करने के दोनों कार्य किशोरी शिक्षा कार्यक्रम (एईपी) व स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से किये जा सकते हैं। नोडल शिक्षकों और स्कूलों के प्रधानाचार्यों का अभिविन्यास (ओरिएंटेशन) वर्तमान तंत्र के माध्यम से किया जायेगा। नोडल शिक्षकों को नेपकिनों के भण्डारण के लिए उत्तरदायी और इनके उपयोग एवं सुरक्षित निपटान के लिए उत्तरदायी बनाया जायेगा। लड़कियों के लिए अलग शौचालयों और सेनिटरी नेपकिनों के निपटान हेतु 'इनसिनरेटरों' की व्यवस्था करने की भी आवश्यकता होगी।

3. सेनिटरी नेपकिनों की खरीद और अधिप्राप्ति

हर चयनित ज़िले के लिए सेनिटरी नेपकिन्स की जरूरत 10–19 आयु की किशोरियों की 70 प्रतिशत आबादी पर आधारित होगी। सेनिटरी नेपकिन्स के हर पैकेट में 6 नेपकिन होंगे। सेनिटरी नेपकिन निम्न तरीकों से प्राप्त किये जायेंगेः

- राज्यों में स्वयं सहायता समूहों को उत्पादन करने योग्य बना कर। महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण और महिला विकास निगमों के विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह व्यापक रूप से और सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। अधिप्राप्ति की यह पद्धति उन 50 ज़िलों में लागू होगी जहां स्वयं सहायता समूह मजबूत हैं और वे पहले से इनका उत्पादन कर रहे हैं या फिर उनमें इनका उत्पादन करने की क्षमता है।
- 100 मध्य, उत्तरी और पूर्वोत्तर राज्यों में, जहां स्वयं सहायता समूह अभी मज़बूत नहीं हुए हैं या फिर हैं ही नहीं, **प्रतियोगी बोली** की प्रक्रिया के माध्यम से निर्माताओं से सेनिटरी नेपकिन प्राप्त किये जा सकते हैं।

अगर स्वयं सहायता समूहों का चयन किया जाता है तो राज्यों को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि स्वयं सहायता समूहों को बैंकों व लघु वित्तीय संस्थाओं से धन प्राप्त हो और सहायता प्रदान करने वाली संस्थाओं से उनकी सम्बद्धता हो ताकि वे सेनिटरी नेपकिनों के उत्पादन का कार्य हाथ में ले सकें।

इसके साथ–साथ राज्यों को ऐसी कार्यविधियां तैयार करनी होंगी जिनसे स्वयं सहायता समूह सेनिटरी नेपकिनों की भली भांति आपूर्ति कर सकें।

राज्यों को विहित मानकों के अनुसार उत्पाद की सुरक्षा की जांच के लिए उत्पादन और गुणवत्ता के समान मानदंड अपनाने होंगे। इसके लिए राज्यों को उत्पाद के निर्माण के समय संक्रमण को रोकने के लिए गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और गुणवत्ता उपाय सुनिश्चित करके सामग्री परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास हेतु स्थानीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं को शामिल करना होगा।

4. मासिक–धर्म संबंधी साफ–सफाई में आशा का प्रशिक्षण

1. प्रशिक्षक

(i) राज्य स्तर के प्रशिक्षकः राज्य स्तर पर चार प्रशिक्षकों का चयन किया जायेगा और उनमें से अधिकतर महिलाएं होंगी जिन्हें प्रजनन स्वास्थ्य और जमीनी स्तर पर कार्य करने का कम–से–कम 10 वर्ष का अनुभव हो, और साथ ही एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (एडब्ल्यूडब्ल्यू) जैसे ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ कार्य करने की समझ हो।

(ii) आशा प्रशिक्षकः हर ज़िला, हर ब्लॉक से दो एएनएम/महिला स्वास्थ्य विजिटर्स का चयन करेगा जिन्होंने आशा के पिछले प्रशिक्षणों में भाग लिया हो। इस प्रकार हर ज़िले से 20 प्रशिक्षकों का चयन किया जायेगा (यह मानते हुए कि हर मानक ज़िले में 10 ब्लॉक हैं)। ये प्रशिक्षक अपने ब्लाकों में आशा को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

2. उनको प्रशिक्षण कहां किया जायेगा?

(i) राज्य प्रशिक्षकों को एनएचएसआरसी द्वारा राष्ट्रीय स्तर की एक एकदिवसीय कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(ii) राज्य प्रशिक्षकों द्वारा राज्य/ज़िला स्तर पर 20 ब्लॉक–प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

3. आशा प्रशिक्षण

आकलन के उद्देश्य से यह मान कर चला जायेगा कि प्रत्येक ब्लॉक में 100 आशा और 5 फेसिलिटेटर हैं। इन्हें 35 के तीन समूहों में बाँटा जा सकता है। प्रत्येक समूह के प्रशिक्षण का समय करीब चार घन्टे का होगा। आशा के तीन समूहों का प्रशिक्षण ब्लाक स्तर पर उसी ब्लाक के दो ज़िला स्तरीय प्रशिक्षकों द्वारा किया जाएगा।

आशा को फ्लिप बुक की एक प्रति और पठन सामग्री दी जाएगी, और प्रशिक्षकों को इनके अलावा एक प्रशिक्षक माड्यूल भी दिया जायेगा। यदि राज्य चाहे तो पठन सामग्री व प्रशिक्षक माड्यूल का इस्तेमाल स्व–सहायता समूहों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिये किया जा सकता है।

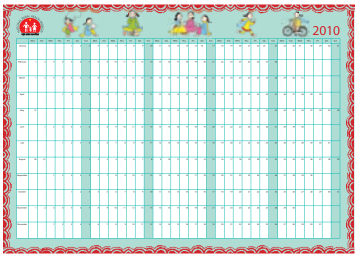

5. व्यवहार–परिवर्तन संप्रेषण (बातचीत)

राष्ट्रीय स्तर पर किशोरियों और संरक्षकों व प्रेरकों (जैसे कि मां, शिक्षक, पंचायत और ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की महिला सदस्य) के लिए एक संप्रेषण कार्यनीति बनाई जाएगी और किट तैयार किया जाएगा जिसे राज्य स्तर पर अनुवादित और रूपांतरित किया जाएगा। व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण की कार्यविधियां इस प्रकार होंगी – पारस्परिक संप्रेषण (आईपीसी), फ्लिप चार्टों और लीफलेट का उपयोग तथा स्वास्थ्य शिविर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत चलाये जाने वाले सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण अभियानों में मासिक–धर्म संबंधी सफाई के संदेशों को शामिल किया जायेगा जिन्हें राज्य स्तरों पर रूपांतरित कर अपनाया जायेगा।

6. सेनिटरी नेपकिनों का सुरक्षित तरीके से निपटान करना

सेनिटरी नेपकिनों के निपटान के सुरक्षित तरीकों को – पर्यावरण पर हो रहे इसके परिणामों को देखते हुए – इस कार्यक्रम का अभिन्न अंग बनाया गया है। सुरक्षित निपटान संप्रेषण व्यवहार परिवर्तन, संप्रेषण कार्यनीति का एक मुख्य हिस्सा होगा। समुदाय के स्तर पर उपयुक्त पर्यावरण संबंधी मंज़ूरी प्राप्त करने के बाद दो विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। एक है इन्हें गहरे गड्ढ़े में दबाना और दूसरा इन्हें जलाना। राज्यों को स्कूलों में इनसिनरेटर (दाहक यंत्र) लगाने पर विचार करना चाहिए। इनसिनरेटर कई प्रकार के होते हैं – कुछ हाथ से चलाए जाते हैं तो कुछ में परिष्कृत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। राज्यों को समग्र स्वच्छता अभियान या फिर सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से ऐसे उपकरणों के लिए निधियां जुटानी चाहिए।

VII. सेवा–प्रदानगी ढांचाः विभिन्न सेवा प्रदानगी स्तरों पर भूमिकाएं और उत्तरदायित्व

देखरेख का स्तर	सेवा–प्रदाता	सेवाएं
गांव	आशा / स्वयं सहायता समूह / समुदाय–आधारित संगठन 	• किशोरियों को तैयार करना। • मासिक बैठकों का आयोजन। • किशोरियों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। • महिला समूह की बैठकों का आयोजन। • किशोरियों को सेनिटरी नेपकिन वितरित करना। • उपकेंद्र द्वारा गांव में सेनिटरी नेपकिनों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना। • सेनिटरी नेपकिनों की बिक्री और उनका हिसाब रखना। • अगले महीने की आपूर्तियों और ज़रूरतों का आकलन करना। • मुख्य संकेतकों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
उपकेंद्र	एएनएम 	• मासिक–धर्म संबंधी स्वच्छता पुस्तिका पर आशा को प्रशिक्षण देना और बीच–बीच में पुनः प्रशिक्षण प्रदान करना। • समय–समय पर मासिक बैठकों का अनुश्रवण करना। • ब्लाक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से उपकेंद्र तक सेनिटरी नेपकिनों का परिवहन। • सेनिटरी नेपकिनों का सुरक्षित भण्डारण सुनिश्चित करना। • आशा को उसके उपकेंद्र क्षेत्र के लिए आवश्यक मात्रा में सेनिटरी नेपकिनों की आपूर्ति करना। • आशा को पेशगी राशि और परिवहन का खर्च देना। • नियमित क्षेत्र दौरों और ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के दौरान स्थल–जांचें आयोजित करना। • आशा की जांच प्रणाली और लेखा रजिस्टर की समीक्षा करना। • सामान–सूची, ट्रेकिंग और लेखा रजिस्टर का रख–रखाव।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	चिकित्सा अधिकारी/ब्लाक लेखाधिकारी	• यह सुनिश्चित करना कि मासिक–धर्म संबंधी स्वच्छता पर आशा को प्रशिक्षण प्राप्त हो। • सेनिटरी नेपकिनों का सुरक्षित भण्डारण सुनिश्चित करना। • नियमित क्षेत्र दौरों के दौरान स्थल जांच आयोजित करना। • सामान–सूची, ट्रेकिंग और लेखा रजिस्टर का रख–रखाव।
ज़िला	सीएमएचओ/सीएस/डीपीएम 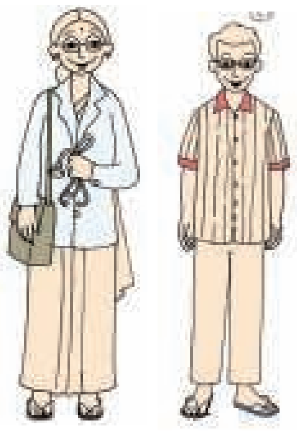	• कार्यक्रम के लिए नोडल बिंदु के रूप में कार्य करना। • सभी ब्लॉकों में योजना हेतु सामान–सूची और लेखों के रख–रखाव पर चिकित्सा अधिकारी/ब्लाक लेखाधिकारी और एएनएम के प्रशिक्षण के लिए अनुबंध–आधार पर लेखाकार की सेवाएं प्राप्त करना। • प्राप्त की गई निधियां ब्लाक के माध्यम से ज़िला स्वास्थ्य सोसाइटी को भेजना। • सेनिटरी नेपकिनों का सुरक्षित भण्डारण सुनिश्चित करना। • नियमित रूप से कार्यक्रम का अनुश्रवण (मॉनीटर) करना।
	कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर	• अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों के साथ–साथ योजना की मासिक कार्यक्रमगत और वित्तीय समीक्षा करना। • विभिन्न विभागों के साथ मिलकर प्रबंधन।
राज्य	मिशन निदेशक, एनआरएचएम	• स्वयं सहायता समूहों से/या बोली की प्रक्रिया द्वारा सेनिटरी नेपकिन प्राप्त करना। • निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्ता प्रकोष्ठ (सेल) स्थापित करना। • ज़िले और उससे निचले स्तरों पर आपूर्ति को सुगम बनाने के लिए ठोस सम्भारतंत्र प्रणालियां सुनिश्चित करना।

संलग्नक1: विभिन्न स्तरों पर भूमिकाएं और उत्तरदायित्व

VIII. ज़िला और उप–ज़िला स्तर पर कार्यक्रम का संचालन

ज़िला, ब्लाक, उपकेंद्र और ग्राम स्तर पर कार्यक्रम के संचालन के मुख्य कदम निम्नलिखित हैं। राज्य स्तर पर होने वाले विशेष बदलावों (जैसे कि आशा द्वारा सेनिटरी नेपकिन पैक उसी या अलग कीमत पर बेचना) से जुड़े निर्णय लेने के लिए एक राज्य संचालन (स्टीयरिंग) समिति बनाई जाएगी।

पहला कदमः	ब्लाक के गोदाम को सेनिटरी नेपकिनों की आपूर्ति की जाए। राज्यों द्वारा भण्डारण ब्लाक स्तर पर किया जायेगा। भण्डारण साफ और सूखे स्थान पर होना चाहिए जहां चूहे आदि न हों और जो सुरक्षित हो।
दूसरा कदमः	एएनएम अपनी मासिक बैठक के दौरान ब्लाक से सेनिटरी नेपकिन प्राप्त करेगी और उन्हें उपकेंद्र पहुंचायेगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर प्रदान करने के लिए तैयार किये गये सेनिटरी नेपकिन हल्के तो होते हैं पर ज्यादा जगह घेरते हैं। इनके लिए ऐसे पर्याप्त स्थान की जरूरत होती है जहां नमी न हो और कीड़ों/चूहों से इनका बचाव हो सके। इन्हें उपकेंद्र में रखा जाएगा और अगर वहां पर्याप्त जगह नहीं है तो इस उद्देश्य से किराये पर ली गई किसी जगह में रखा जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण का प्रबंध राज्यों द्वारा किया जायेगा।
तीसरा कदमः	एनएनएम आशा को एक बार 300 रु. की पेशगी राशि (या राज्य स्टीयरिंग समिति के फैसले के अनुसार इससे अधिक) देगी जिसे वह उपकेंद्र की अबंधित (अनटाइड) निधि से प्राप्त करेगी।
चौथा कदमः	आशा इस पेशगी निधि का उपयोग एएनएम से सेनटरी नेपकिन खरीदने के लिए करेगी। साथ ही वह स्वयं अपने उपयोग के लिए हर माह सेनिटरी नेपकिन का एक पैकेट निःशुल्क लेगी ताकि लोगों में विश्वास पैदा कर सके।
पांचवां कदमः	आशा सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर किशोरियों को नेपकिन बेचेगी।
छठा कदमः	अगर आशा सेनिटरी नेपकिन बेच रही है तो वह हर बेचे गये पैक पर अपने लिए प्रोत्साहन–राशि रखेगी जिसे राज्य स्टीयरिंग समिति द्वारा तय किया जायेगा।
सातवां कदमः	आशा बिक्री से प्राप्त राशि को अपने पास रखेगी ताकि पेशगी राशि की भरपाई हो सके जिसका उपयोग आशा आगे की खरीददारी के लिए करेगी।
आठवां कदमः	एएनएम, आशा की दी गई नेपकिनों की बिक्री से प्राप्त राशि को उपकेंद्र की अबंधित (अनटाइड) निधि में जमा करेगी।
नौवां कदमः	इन निधियों का उपयोग ब्लाक से उपकेंद्र और फिर वहां से गांव तक परिवहन की लागत चुकाने और उपकेंद्र स्तर पर, जरूरत पड़ने पर सेनिटरी नेपकिनों को रखने की जगह का किराया देने के लिए किया जायेगा।
दसवां कदमः	उक्त लागतें चुकाने के बाद अगर राशि बचती है तो उसे ब्लाक के माध्यम से ज़िला स्वास्थ्य सोसाइटी को वापस कर दिया जायेगा। ज़िला स्वास्थ्य सोसाइटी को इन निधियों का उपयोग किशोरियों के कार्यक्रमों के लिए करना चाहिए।

गांव के स्तर पर आशा गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) और गरीबी रेखा से नीचे के (बीपीएल) वर्ग की लड़कियों को की गई बिक्री का रजिस्टर भरेगी (अगर राज्य दोनों के लिए अलग–अलग कीमतें निर्धारित करने का फैसला लेता है) और इसे गांव की स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की दो महिला सदस्य सत्यापित एवं प्रमाणित करेंगी ताकि एपीएल और बीपीएल वर्ग की लड़कियों को बिक्री के लिए मार्गनिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

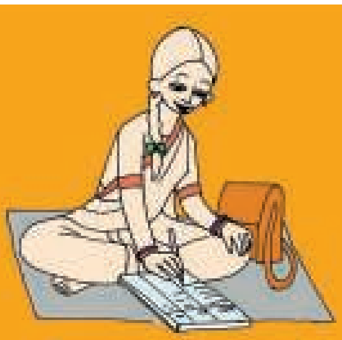

एक आशा के हिसाब से किया गया आकलन इस प्रकार है (अगर राज्य सेनिटरी नेपकिनों के लिए कीमत निर्धारित करने का फैसला लेता है)

- पहले महीने आशा एएनएम से x रु. मूल्य के सेनिटरी नेपकिन खरीदेगी।
- वह गांव में हर महीने, सरकार द्वारा निर्धारित उचित मूल्य पर एपीएल और बीपीएल वर्ग की लड़कियों को सेनिटरी नेपकिन बेचेगी।
- इससे उसे मासिक प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी तथा पेशगी के पैसे की भरपाई करने के लिए कुछ राशि प्राप्त होगी जिसका उपयोग आगे की खरीददारियों के लिए चक्रीय निधि (रिवोल्विंग फंड) के रूप में किया जायेगा।
- हर महीने एक दिन किशोरियों के लिए शिक्षा सत्रों का आयोजन करने के लिए आशा को पूर्व–निर्धारित प्रोत्साहन राशि (जो भी राज्य स्टीयरिंग समिति निर्धारित करे) भी प्राप्त होगी। यह राशि उसे रिपोर्टों के सत्यापन के बाद ही दी जायेगी।

स्कूलों में वितरण: जब किशोरियों को सेनिटरी नेपकिनों का वितरण स्कूलों के माध्यम से करना हो तो मौजूदा स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उपयोग किया जा सकता है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम सेनिटरी नेपकिनों को स्कूल की नोडल शिक्षिका को देगी। राज्य की स्थितियों के आधार पर, राज्य और ज़िले सेनिटरी नैपकिनों की बिक्री मशीनें लगाने पर भी विचार कर सकते हैं। इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) से निधियां प्राप्त की जा सकती हैं।

IX. प्रबंधकीय ढांचा

यह कार्यक्रम राज्य और ज़िला स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अंग के रूप में कार्यान्वित किया जायेगा। कार्यक्रम को राज्य और ज़िला स्वास्थ्य सोसाइटियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। किशोरियों के लिए सुनिश्चित प्राप्ति (डेलिवरी) बिंदु आशा/शिक्षिका/समुदाय– आधारित क्रियाविधि (संस्था, आदि) होगी।

आपूर्ति और भण्डारण शृंखला

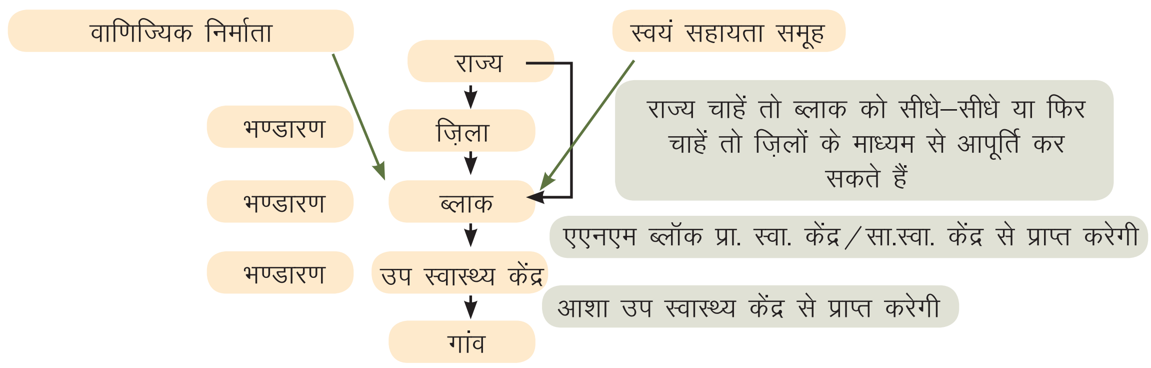

कार्यक्रम के लिए अन्य विभागों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत होगी। जैसे कि शिक्षा विभाग, जल एवं स्वच्छता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग समाज कल्याण–विभाग, युवा एवं खेलकूद कार्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग आदि।

- सेनिटरी नेपकिन बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को वित्तपोषित करने के लिए निधियां जुटाना।
- बिक्री मशीनों और दाहकों यानी इनसिनरेटर्स को प्राप्त करना।
- स्वयं सहायता समूहों, बालिका छात्रावासों और अनाथालयों जैसी संस्थाओं को इस कार्य में शामिल करना।
- किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन वितरित करना।
- लड़कियों के लिए शौचालयों का निर्माण करना, आदि।

राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव उक्त विभागों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे ताकि उच्चतम स्तर पर समन्वय सुनिश्चित हो। ऐसा ही राज्य–स्तर पर भी किया जायेगा।

राज्य स्तर पर हर राज्य में एक राज्य स्टीयरिंग समिति बनाने का सुझाव है जो कि मासिक–धर्म सम्बन्धित साफ सफाई से जुड़ी योजनाओं को लागू करने में मदद करेगी। यह समिति निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होगी:

- राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) और गरीबी रेखा से नीचे के (बीपीएल) वर्ग के लिए अलग–अलग कीमतों (यदि हैं तो) सहित सेनिटरी नेपकिनों के पैक मूल्य को अंतिम रूप देना।
- प्रति सेनिटरी नेपकिन पैक पर आशा की प्रोत्साहन राशि को अंतिम रूप देना।
- प्रति पैक पर कम–से–कम एक रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए।
- मासिक बैठक के आयोजन के लिए आशा को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को अंतिम रूप देना। 50 रुपये की प्रोत्साहन राशि की सिफारिश की जाती है।
- अगर जरूरत हो तो सेनिटरी नेपकिन पैक्स की खरीद के लिए पहली बार की जरूरत के आधार पर आशा को दी जाने वाली पेशगी राशि को संशोधित करना।
- अगर केंद्रीय निधियों से अधिक निधियों की जरूरत पड़े तो योजना के लिए निधियां मंज़ूर करना।
- ब्लॉक स्तर पर भण्डारण के लिए पर्याप्त स्थान का आकलन और प्रबंध करना तथा साथ ही हर भण्डारण स्थल पर स्टॉक प्रबंधन के लिए जिम्मेदारी सौंपना।
- योजना के कार्यान्वयन के लिए शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, समाज कल्याण, जल एवं स्वच्छता जैसे संबंधित विभागों के साथ तालमेल।

ज़िला स्तर पर एक ज़िला समन्वयन समिति स्वयं सहायता समूहों के नेतृत्व में विनिर्माण तथा संबंधित प्रक्रियाओं, कार्यक्रम के अनुश्रवण, स्कूलों से संपर्क सहित पूरे कार्यक्रम का समन्वयन करेगी जिनकी अध्यक्षता कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर, परियोजना निदेशक, डीआरडीए/सीईओ, ज़िला पंचायत करेंगे और इसके सदस्य शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, समाज कल्याण, जल एवं स्वच्छता जैसे संबंधित विभागों से होंगे।

X. अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) और पर्यवेक्षण

प्रस्ताव में जिन घटकों का अनुश्रवण करना है, वे इस प्रकार हैं:

- **सेनिटरी नेपकिन्स की गुणवत्ता:** राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यक्रम के अंतर्गत दिये जाने वाले सेनिटरी नैपकिन, भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुसार हों। यह कार्य निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए जारी नवीनतम दिशानिर्देशों तथा राज्य भर में समय–समय पर औचक निरीक्षण के द्वारा किया जाएगा। ऐसा राज्यों में गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के माध्यम से तथा चुनींदा प्रौद्योगिकी संस्थाओं में स्थापित गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं के सहयोग से किया जा सकता है।
- **निरंतर आपूर्तियां:** राज्य सेनिटरी नेपकिनों की आपूर्ति को लगातार जारी रखने और सभी केंद्रों में मासिक स्टॉक उपलब्ध रखने के लिए इनकी प्राप्ति और वितरण की जाँच करेंगे। राज्य विभिन्न स्तरों पर समान–सूची (इनवेंटरीज) को बनाए रखने के लिए नोडल अधिकारी पदनामित (डेजिगनेट) करेंगे और उन्हें प्रशिक्षण देंगे।
- **वितरण और बिक्री:** सेनिटरी नेपकिनों के वितरण और बिक्री के कार्य की जाँच (मॉनीटरिंग) उपकेंद्र, ब्लाक, ज़िला और राज्य स्तर पर किया जायेगा (कृपया मॉनीटरिंग ढांचा देखें)।
  - आशा गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) वर्ग की लड़कियों को बिक्री का मासिक रिकार्ड रखेगी और उनसे प्राप्त पैसे का हिसाब भी रखेगी। रजिस्टर और खातों पर उसके साथ ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति के नामोदिष्ट एक महिला सदस्य के हस्ताक्षर होंगे।

- एएनएम और ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति सभी किशोरियों को उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्राम–स्तर पर मॉनीटरिंग करेंगी। वे घर–घर जाकर यह पता लगायेंगी कि कहीं बीपीएल वर्ग की लड़कियां कार्यक्रम के लाभों से वंचित तो नहीं हो रही हैं और कहीं बीपीएल और एपीएल वर्ग की लड़कियों से अधिक कीमत तो नहीं ली जा रही है। इसलिए एएनएम गांव के दौरों के समय किसी भी मामले की जाँच कर सकती है। वह एक तिमाही में कम–से–कम एक मासिक बैठक में भाग लेगी। वह रिपोर्ट की जाँच के बाद ही आशा को बैठक आयोजित करने के लिए प्रोत्साहन–राशि देगी।
- इस कार्यक्रम की मॉनीटरिंग एएनएम से ऊपर के सभी स्तरों पर वरिष्ठ अधिकारियों की जॉच और समीक्षा प्रक्रिया का अंग भी होगी।

आशा तथा पर्यवेक्षक द्वारा सूचित किये जाने वाले मुख्य निरीक्षण संकेतक:

- महीने के आरंभ में ज़िले, ब्लाक, उपकेंद्र, एएनएम से प्राप्त सेनिटरी नेपकिनों की मात्रा।
- महीने के अंत में आशा के पास बचे सेनिटरी नेपकिनों की संख्या।
- जिन्हें सेनिटरी नेपकिन की जरूरत है उन लड़कियों की संख्या (एपीएल और बीपीएल वर्गों के लिए अलग–अलग)।
- मासिक बैठक में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या (एपीएल और बीपीएल वर्गों के लिए अलग–अलग)
- उन लड़कियों की संख्या जिन्होंने सेनिटरी नेपकिन खरीदे (एपीएल और बीपीएल वर्गों के लिए अलग–अलग)।
- सेनिटरी नेपकिन खरीदने के लिए आशा द्वारा खर्च की गई राशि।
- प्रोत्साहन राशि।
- माह के अंत में पेशगी निधि में वापस जमा की गई राशि।

अनुलग्नक–2 में आशा, एएनएम और ब्लाक स्तर के मॉनीटरिंग फार्मेट शामिल हैं।

मॉनीटरिंग ढांचा

राज्य

- ज़िलों की सेनिटरी नेपकिनों की जरूरतों का आकलन करना और उन्हें जोड़ कर राज्य के लिए आकलन करना।
- गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली स्थापित करना।
- प्राप्ति के स्रोत का निर्धारण करना।
- प्राप्ति के लिए इकरारनामों को अंतिम रूप देना।
- ज़िलों में वितरण प्रणालियां स्थापित करना।
- मासिक मॉनीटरिंग रिपोर्टों की समीक्षा और इन पर ज़िलों को फीडबैक देना।
- कार्यक्रम के कार्यान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा के लिए तिमाही बैठकें आयोजित करना।
- कार्यान्वयन करने वाले ज़िलों और राज्य के लिए वार्षिक लेखा–परीक्षा (ऑडिट)।

ज़िला

- ब्लाकों के लिए सेनिटरी नेपकिनों की जरूरतों का आकलन करना और उन्हें जोड़ कर ज़िले के लिए आकलन करना।
- ब्लाकों में वितरण प्रणालियां स्थापित करना।
- कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए मासिक बैठकें आयोजित करना और रिपोर्ट पर फीडबैक देना।
- निधियों के प्रवाह की मासिक वित्तीय समीक्षा करना और ज़िला स्वास्थ्य सोसाइटियों को निधियां वापस करना।
- ब्लाकों के खातों की वार्षिक लेखा–परीक्षा (ऑडिट)।

ब्लाक

- उपकेंद्रों की सेनिटरी नेपकिनों की जरूरतों का आकलन करना और उन्हें जोड़ कर ब्लाकों की जरूरत का आकलन करना।
- उपकेंद्रों के लिए वितरण प्रणाली स्थापित करना।
- कार्यक्रम के कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा के लिए मासिक बैठकों का आयोजन।
- निधियों के प्रवाह, भण्डारण और परिवहन पर किये गये खर्च और ज़िला स्वास्थ्य सोसाइटियों को वापस दी जाने वाली निधियों के आकलन के संबंध में मासिक वित्तीय समीक्षा।

उपकेंद्र

- यह आकलन करना कि कितने सेनिटरी नेपकिनों की जरूरत है – बीपीएल और एपीएल वर्ग के लिए अलग–अलग।
- आशा के लिए गांव में परिवहन का इंतजाम करना।
- आशा को प्रोत्साहन राशि का मासिक भुगतान।
- उपकेंद्र की अबंधित (अनटाइड) निधि में पेशगी राशि को वापस करना।

गांवः एएनएम/वीएचएससी की महिला सदस्य

- लाभार्थियों के बारे में जानकारी लेना ।
- नियमित मासिक बैठकें।
- सेनिटरी नेपकिनों की बिक्री और प्रोत्साहन राशि का सत्यापन

XI. कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य कार्यः

- आशा द्वारा बेचे गए प्रति पैक के लिए कम से कम 1 रु. की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- कार्यक्रम के अन्तर्गत दिये जाने वाले सेनिटरी नैपकिन के हर पैक पर एनआरएचएम का लोगो होगा।

संलग्नकः 1

विभिन्न स्तरों पर भूमिकाएं और उत्तरदायित्व

i. मासिक–धर्म संबंधी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य समूह के बीच समुदाय–आधारित स्वास्थ्य शिक्षा एवं सेवा कार्य

- **केंद्रीय स्तरः** प्रशिक्षण मॉड्यूल (एएनएम के उपयोग के लिए), आशा के लिए पठन सामग्री और मासिक बैठकों में उपयोग हेतु आशा के लिए मासिक–धर्म संबंधी सफाई पर संप्रेषण किट तैयार करना। इसमें मासिक–धर्म चक्र, मासिक–धर्म स्वच्छता, सेनिटरी नेपकिनों का उपयोग, आपूर्ति का स्रोत, निपटान के तरीके तथा किशोरी प्रजनन और यौन स्वास्थ्य (एआरएसएच) के अन्य मुद्दे शामिल होंगे।
- **राज्य स्तरः** सामग्री का रूपांतरण, अनुवाद और मुद्रण और संप्रेषण किट।
- **ज़िला और उप-ज़िला स्तरः** इंवेंटरी, लेखा प्रबंधन आदि में चिकित्सा अधिकारी, ब्लाक लेखा अधिकारी और एएनएम का प्रशिक्षण; आउटरीच सत्रों और स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा का निरीक्षण।
- **ग्राम स्तरः** आशा द्वारा किशोरियों के लिए नियमित रूप से मासिक बैठकों का आयोजन जिसमें मासिक–धर्म संबंधी स्वास्थ्य और किशोरियों के अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी।

ii. किशोरियों को सेनिटरी नेपकिन नियमित रूप से उपलब्ध कराना (इनका प्रापण, भण्डारण और किशोरियों को वितरण सहित)

- **केंद्र स्तरः** गुणवत्ता संबंधी मार्गनिर्देश, बीआईएस, स्वयं सहायता समूह वाले केंद्रीय मंत्रालयों के साथ संपर्क।
- **राज्य स्तरः** हर ज़िले की मांग का पता करना; स्वयं सहायता समूहों से या बोली की प्रक्रिया द्वारा सेनिटरी नेपकिन प्राप्त करना। अगर स्वयं सहायता समूहों से प्राप्त करने हैं तो संबंधित विभागों के साथ संपर्क, स्व–सहायता समूह संघों की व्यवस्था (मैपिंग) करना, बैंकों के साथ समन्वय, कच्चा माल उपलब्ध कराना; राज्य और जिला स्वयं सहायता समूहों को मानकीकृत गुणवत्ता वाले उत्पाद के संबंध में प्रशिक्षण देना। ज़िले तक परिवहन के लिए मौजूदा सम्भारतंत्र का उपयोग करना, स्कूलों में बिक्री मशीनें लगाने में सहायता के लिए सर्वशिक्षा अभियान से संपर्क करना।
- **ज़िला स्तरः** भण्डारण और ब्लाक एवं उपकेंद्र स्तर पर आगे वितरण करना।
- **ग्राम स्तरः** भण्डारण और समुदाय/स्कूलों में किशोरियों को वितरण।

iii. मासिक–धर्म संबंधी स्वास्थ्य पर आशा और नोडल शिक्षिका का प्रशिक्षण

- **केंद्र स्तरः** प्रशिक्षक मैनुअल तैयार करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम की तैयारी और राष्ट्रीय प्रशिक्षण दल का प्रशिक्षण (वर्तमान आशा/किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य प्रशिक्षण से जोड़ना)
- **राज्य स्तरः** राज्य प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (आशा/किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य)
- **ज़िला और उप-ज़िला स्तरः** ज़िला और ब्लाक प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षक–प्रशिक्षण, वर्तमान कार्यविधियों के माध्यम से आशा और नोडल शिक्षिका का प्रशिक्षण, आशा को पठन सामग्री और संप्रेषण किट की आपूर्ति करना।

iv. सेनिटरी नेपकिनों के निपटान के सुरक्षित तरीके

- **केंद्र स्तरः** पर्यावरण मंत्रालय के साथ परामर्श और मंजूरी, उत्पादन और निपटान के साधनों के लिए सर्वाधिक पर्यावरण–अनुकूल प्रौद्योगिकियों की पहचान करने के लिए शोध संस्थाओं के साथ सहयोग, विनिर्माण और निपटान के तरीकों के संबंध में राज्यों के लिए मार्गनिर्देश तैयार करना।

- **राज्य स्तरः** राज्य सेनिटरी नेपकिनों का उत्पादन करने वाली संस्थाओं के लिए निर्माण एवं निपटान के तरीकों संबंधी मार्गनिर्देश जारी करेंगे, मानकीकृत गुणवत्तापूर्ण उत्पादों पर स्वयं सहायता समूहों के लिए राज्य और ज़िलों में प्रशिक्षण आयोजित करेंगे, शौचालयों और इनसिनरेटरों (दाहकों) के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान और समग्र स्वच्छता अभियान से संपर्क किया जाएगा।
- **ज़िला स्तरः** स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के माध्यम से और पंचायतों के सहयोग से निपटान के सुरक्षित तरीकों की मॉनीटरिंग करना।
- **ग्राम स्तरः** सुरक्षित निपटान सुविधाएं सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत/स्वयं सहायता समूहों और अन्य समुदाय–संगठनों को शामिल करना।

v. कार्यक्रम प्रबंधन ढांचाः

- **केंद्र स्तरः** अन्य मंत्रालयों को सुग्राही बनाना और अभिविन्यास कार्य – मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, युवा कार्य एवं खेलकूद मंत्रालय तथा जल एवं स्वच्छता मंत्रालय।
- **राज्य स्तरः** अन्य विभागों को सुग्राही बनाना और अभिविन्यास कार्य – शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास, युवा कार्य, जल एवं स्वच्छता विभाग। इन विभागों के साथ मिलकर कार्य करना और ज़िला स्तर पर सहयोग के लिए निर्देश जारी करना।
- **ज़िला स्तरः** संपर्क और सहायता प्राप्ति के लिए मुख्य विभागों के साथ मिलकर कार्य करना।
- **ग्राम स्तरः** समुदाय स्तर की बैठकें और ग्राम पंचायत (महिला सदस्य) और ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के नेतृत्व में सहयोगी विभागों के कर्मचारियों के साथ सहयोग।

vi. वित्तपोषण की कार्यविधियां और निधियां प्रदान करने के तरीके

- **केंद्र स्तरः** लागत, बिक्री मूल्य, प्रोत्साहन राशि के बारे में मार्गनिर्देश जारी करना, राशि की वापसी तथा सेनिटरी नेपकिनों की बिक्री से प्राप्त निधियों के उपयोग की कार्यविधियां सुझाना।
- **राज्य स्तरः** ग्राम, उपकेंद्र, ब्लाक और ज़िला स्तर पर लेखा प्रणालियों सहित उक्त कार्यों के लिए राज्य की स्थिति के अनुसार कार्यविधियां तैयार करना।
- **ज़िला स्तरः** उपकेंद्र की अबंधित (अनटाइड) निधि में पैसे की वापसी, ज़िला स्वास्थ्य सोसाइटी को पैसे की वापसी सहित निधि प्रवाह को संचालित करना और मॉनीटर करना।
- **ग्राम स्तरः** लेखा मार्गनिर्देशों का कार्यान्वयन और अनुपालन सुनिश्चित करना।

vii. अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) और पर्यवेक्षण

- **केंद्र स्तरः** मॉनीटरिंग फार्मेट्स तैयार करना और सभी स्तरों पर रिपोर्टिंग के लिए भूमिकाएं एवं दायित्व तय करना। प्रगति का पता लगाने के लिए समय–समय पर सर्वेक्षण करना।
- **राज्य स्तरः** आवश्यक फार्मेट्स द्वारा रिपोर्टिंग के अनुपालन के लिए उपयुक्त मॉनीटरिंग और निरीक्षण प्रणालियां सुनिश्चित करना। उत्पादों की गुणवत्ता और निपटान की कार्यविधियों की मॉनीटरिंग।
- **ज़िला स्तरः** प्राप्त की गई आपूर्तियों की मॉनीटरिंग, ब्लाक और उप– ब्लाक स्तर पर पहुंचाई जाने वाली आपूर्तियों पर नजर रखना, उप केंद्र और ग्राम स्तर पर कार्यक्रमों की समय–समय पर मॉनीटरिंग।

संलग्नकः 2

विभिन्न स्तरों के लिए मॉनीटरिंग प्रपत्र (फार्मेट्स)

I. (क) राज्य स्तरीय फार्मेट (वार्षिक आधार पर आंकड़े एकत्र किये जायेंगे)

ज़िले का नाम	उन लड़कियों की संख्या जिन तक पहुंचना है (बीपीएल/एपीएल)	आवश्यक सेनिटरी नेपकिनों के पैकेटों की संख्या	स्रोत एजेंसी	गुणवत्ता आश्वासन एजेंसी	भण्डारण	परिवहन
	एपीएल/बीपीएल					
योग						

I. (ख) राज्य स्तरीय फार्मेट (आंकड़े ज़िला रिकार्डों यानी 2 ख, से प्राप्त कर मासिक आधार पर जोड़े जायेंगे)

ज़िले का नाम	उन लड़कियों की संख्या जिन तक हर माह पहुंचा गया (बीपीएल/एपीएल)		सेनिटरी नेपकिनों के पैकेटों की संख्या (बीपीएल/एपीएल)		आशा को दी गई प्रोत्साहन राशि		ज़िला स्वास्थ्य सोसाइटी को प्रदान की गई राशि	भण्डारण के लिए किराया	परिवहन व्यय
	एपीएल	बीपीएल							
योग									

II. ज़िला स्तर के फार्मेट

(क) आंकड़े वार्षिक आधार पर एकत्र किये जायेंगे

- उन लड़कियों की संख्या, जिन तक पहुंचना है
- आवश्यक सेनिटरी नेपकिन पैकेटों की संख्या
- सेनिटरी नेपकिनों को ब्लाकों तक पहुंचाने के लिए परिवहन व्यवस्था
- भण्डारण का इंतजाम, यदि आवश्यक हो तो
- ज़िला और ब्लाक स्तर पर लेखा का वार्षिक ऑडिट
- प्रशिक्षणः प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षक–प्रशिक्षण

(ख) आंकड़े ज़िला स्तर पर मासिक आधार पर एकत्र किये जायेंगे।

ब्लाक का नाम	उन लड़कियों की संख्या जिन तक हर माह पहुंचा गया (बीपीएल/एपीएल)		सेनिटरी नेपकिन के पैकेटों की संख्या (बीपीएल/एपीएल)		आशा को दी गई प्रोत्साहन राशि		ज़िला स्वास्थ्य सोसाइटी को प्रदान की गई राशि	भण्डारण के लिए किराया	परिवहन व्यय
	एपीएल	बीपीएल	एपीएल	बीपीएल	नेपकिनों की बिक्री	मासिक बैठकें			
योग									

III. ब्लाक स्तरीय फार्मेटः

(क) आंकड़े वार्षिक आधार पर एकत्र किये जायेंगे

- उन लड़कियों की संख्या जिन तक पहुंचना है
- सेनेटरी नेपकिन पैक्स की अपेक्षित संख्या
- आवश्यक सेनिटरी नेपकिन उपकेंद्रों में पहुंचाने के लिए परिवहन व्यवस्था
- भण्डारण का इंतजाम
  - प्रशिक्षणः
  - आशा का प्रशिक्षण
  - ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति अभिविन्यास कार्यक्रम
  - एएनएम अभिविन्यास कार्यक्रम

(ख) आंकड़े मासिक आधार पर एकत्र किये जायेंगे

उपकेंद्र का नाम	उन लड़कियों की संख्या जिन तक प्रतिमाह पहुंचा गया		प्राप्त सेनिटरी नेपकिन के पैकेटों की संख्या	दिए गए सेनिटरी नेपकिन के पैकेटों की संख्या	बाकी पैकेट	आशा को दी गई प्रोत्साहन राशि	उपकेंद्र में प्रदान की गई राशि	भण्डारण के लिए किराया	परिवहन व्यय
	एपीएल	बीपीएल							
योग									

IV. उपकेंद्रों के लिए मासिक मॉनीटरिंग फार्मेट

(क) भण्डारण के लिए किराया (यानी उपकेंद्र स्तर पर किराये पर लिये गये गोदाम का किराया)

(ख) परिवहन व्यय

गांव का नाम	आशा का नाम	उन लड़कियों की संख्या जिन तक हर माह पहुंचा गया (बीपीएल/ एपीएल)		ब्लाक से प्राप्त सेनिटरी नेपकिन के पैकेटों की संख्या	बेचे गये सेनिटरी नेपकिन के पैकेटों की संख्या		सेनिटरी नेपकिन के बाकी पैकेट	आशा को दी गई प्रोत्साहन राशि		उपकेंद्रों को प्रदान की गई राशि
		एपीएल	बीपीएल		एपीएल	बीपीएल		नेपकिनों की बिक्री	मासिक बैठकें	
योग्य										

V. आशा गांव में किशोरियों के लिए एक ट्रेनिंग रजिस्टर (फार्मेट क) तैयार करेगी और फार्मेट (ख) में भर कर एएनएम के पास मासिक रिपोर्ट जमा करेगी।

फार्मेट क

लड़की का नाम	एपीएल वर्ग की है या बीपीएल वर्ग की		जनवरी		फरवरी		मार्च		अप्रैल		मई		जून	
	एपीएल	बीपीएल	बेचे गये सेनिटरी नेपकिन के पैकेटों की संख्या	क्या बैठक में भाग लिया	बेचे गये सेनिटरी नेपकिन के पैकेटों की संख्या	क्या बैठक में भाग लिया	बेचे गये सेनिटरी नेपकिन के पैकेटों की संख्या	क्या बैठक में भाग लिया	बेचे गये सेनिटरी नेपकिन के पैकेटों की संख्या	क्या बैठक में भाग लिया	बेचे गये सेनिटरी नेपकिन के पैकेटों की संख्या	क्या बैठक में भाग लिया	बेचे गये सेनिटरी नेपकिन के पैकेटों की संख्या	क्या बैठक में भाग लिया

जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्टूबर		नवम्बर		दिसंबर	
बेचे गये सेनिटरी नेपकिन के पैकेटों की संख्या	क्या बैठक में भाग लिया	बेचे गये सेनिटरी नेपकिन के पैकेटों की संख्या	क्या बैठक में भाग लिया	बेचे गये सेनिटरी नेपकिन के पैकेटों की संख्या	क्या बैठक में भाग लिया	बेचे गये सेनिटरी नेपकिन के पैकेटों की संख्या	क्या बैठक में भाग लिया	बेचे गये सेनिटरी नेपकिन के पैकेटों की संख्या	क्या बैठक में भाग लिया	बेचे गये सेनिटरी नेपकिन के पैकेटों की संख्या	क्या बैठक में भाग लिया

फार्मेट ख – मासिक रिपोर्ट

1. आशा का नामः
2. गांव का नामः
3. महीने के आरंभ में सेनिटरी नेपकिन के पैकेटों का स्टॉक
4. महीने के अंत में सेनिटरी नेपकिन के पैकेटों का स्टॉक
5. उपकेंद्र से गांव तक परिवहन व्यय

क्र. सं.	किशोरियों के साथ संपर्क		आयोजित की गई मासिक बैठकें					बेचे गये सेनिटरी पेनकिन के पैकेटों की संख्या		अर्जित की गई प्रोत्साहन राशि	
	एपीएल	बीपीएल	तिथि	उपस्थित लड़कियों की संख्या	उपस्थित वीएचएससी सदस्यों की संख्या	एएनएम उपस्थित थी या नहीं	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित थी या नहीं	एपीएल	बीपीएल	एपीएल	बीपीएल

परिचालन दिशानिर्देश

ग्रामीण क्षेत्रों में किशोरियों (10–19 वर्ष) में मासिक-धर्म के दौरान स्वच्छता को प्रोत्साहन

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन